

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या :..1249 / 2016..... जिला : उदयपुर
 मैसर्स हंसा पैलेस मार्ट, फर्नीचर प्रा.लि. उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा, व अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.06.2016	<p align="center">एकलपीठ श्री सुनील शर्मा, सदस्य</p> <p>अपीलार्थी की ओर से श्री अभिषेक अजमेरा, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.05.2016, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है, के विरुद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 61 व 75(8)के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.02.2016 में विवादित राशि रु. 8,93,618/- के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर, उन्होंने स्थगन हेतु आवेदित राशि रु. 8,93,618/- में से रु. 5,00,000/-पर रोक लगाते हुए शेष राशि रु. 3,93,618/- पर रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए उक्त शेष राशि रु. 3,93,618/- की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया है।</p> <p>स्थगन के सम्बन्ध में उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन पर ज्ञात होता है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने स्थगन हेतु राशि को स्थगित नहीं करने के सम्बन्ध में कोई भी कारण अंकित नहीं किया है। अतः अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना स्थगन हेतु आवेदित राशि रु. 3,93,618/- के सम्बन्ध में निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप, इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, के लिए रोक लगायी जाती है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा एवं अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से आगामी 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।</p> <p align="center">निर्णय सुनाया गया।</p>	<p align="right">(सुनील शर्मा) सदस्य</p>